















# बैलेट पेपर से होंगे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव

» सरकार का बड़ा फैसला...

छत्तीसगढ़ में बैलेट

पेपर से होंगे निकाय चुनाव

» नगरीय प्रशासन मंत्री

अरुण साव ने कहा...

» उन्होंने कहा कि सभी

कलेक्टर्स को निर्देश जारी

» 7 जनवरी के बाद

कभी लागू हो

जाएगी आचार संहिता

रायपुर, 27 दिसंबर 2024 (ए)।

नगरीय निकाय चुनाव की तैयारीयों के बैलेट पेपर से होंगे। उन्होंने बात की अरुण साव ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बारे में बदलाव के साथ आरक्षण प्रक्रिया भी चल रही है।

सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है।


मंत्री अरुण साव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंवीएम मरीनों की तैयारीयों में समय लग रहा था, इसलिए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करने का नियम लिया गया है। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है और नियमों में बदलाव के साथ आरक्षण प्रक्रिया भी चल रही है।

सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने यह भी बताया कि आरक्षण प्रक्रिया और महापौर चुनाव के लिए 7 तारीख तक यही गई है। जैसे ही आरक्षण प्रक्रिया समाप्त होती, चुनाव आयोग को इस बारे में सुचना भेजती जाएगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था लागू की गई है और कई नियमों में बदलाव कर यह व्यवस्था है।

कानून में बदलाव कर यह व्यवस्था है। यह भी बताया कि हर तीन महीने में बदलाव कर यह व्यवस्था है। इसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव करने का नियम लिया गया है, ताकि हुटे हुए नाम जोड़े जा सकें। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने यह भी बताया कि हर तीन महीने में बदलाव कर यह व्यवस्था है। इसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव करने का नियम लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग भी अरुण साव ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होंगे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि 7 जनवरी के बाद कभी भी अचार संहिता लागू हो सकती है।



## बोर्ड एजाम से पहले होंगे नगरीय निकाय के चुनाव

नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बारे में चुनाव के लिए बैलेट पेपर से होगा। उन्होंने तारीखों को लेकर कहा कि बोर्ड एजाम से पहले प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो जायें। साथ ही यह अटकले हैं कि प्रदेश में सत जनवरी के बाद कभी आचार संहिता लागू नहीं की जायेगी।

इसके साथ मतपत्र की छापाई के लिए

## निकाय चुनाव के लिए आरक्षण अब 8 जनवरी को

त्रिस्तीर्ण पंचायत चुनाव के पदों के लिए आरक्षण की तिथि बदली गई है। अब पंचायत के बांडों का आरक्षण 8 जनवरी को होगा, जबकि जिता पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण 11 जनवरी को होगा। इस आशय के अद्यते जरीए कर दिए गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण कल होने वाला था मगर अब स्थगित कर तिथि अपने बदल दिए हैं। इसके लिए बैलेट पेपर के लिए मतदान 3 जनवरी को होगा। जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य और पंचायत के पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई 8 से 10 जनवरी के बीच होगी। जिला पंचायत सदस्य का प्रकाशन 3 जनवरी को होगा। आरक्षण की कार्रवाई 11 जनवरी को जारी। प्रदेश में चुनाव दिनों तक तुरंत बाद मतों नहीं होंगी। इसके लिए बैलेट पेपर के लिए मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू होगी। माना जा रहा है कि प्रत्येक बीच में चुनाव होंगे, और पंचायत के चुनाव के लिए वाले तक पहले होंगे। रायपुर-छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होंगे। हालांकि अपनी तारीखों की घोषणा में जुटी हुई है।

दर तय कर निर्देश जारी कर दिया है। का स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मुद्रण होगा। प्रदेश सभी कलेक्टरों को राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव महापौर और अध्यक्ष पदों के मतपत्रों का स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मुद्रण होगा। इस बारे में चुनाव के लिए बैलेट पेपर के जरिए होंगे। हालांकि अपनी तारीखों में जुटी हुई है।

## महतारी वंदन योजना मामले में छत्तीसगढ़ में बड़ा फर्जीवाड़ा



### » 1000 रुपये की जगह महिला को दिए जा रहे 500 रुपये

रायपुर, 27 दिसंबर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ की विष्णुवेद सायंकारी की महापौर वंदन योजना के बाद फिर महिलाओं के बांसुलकर किया गया है। अनुसार यात्रा, सहायता, लेखांकन और हैल्पर जैसे विभिन्न स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में खुलेंगे नए थाने, आदेश हुआ जारी

पुलिस सुखालय

</div